न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 21/2022 बउनवानी कमलेश कुमार बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, निवासी खेरदा गोशाला के पास, सवाईमाधोपुर
GCMS No-2022/21

तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

16.02.2022

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 2.12.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. तहसील सवाईमाधोपुर मे स्थित सम्पूर्ण गांवो मे चरागाह भूमि की मय नक्शा ट्रेस की नकल
2. यदि किसी चरागाह भूमि पर किसी गांव या शहर मे अतिक्रमण है तो उसको अधिग्रहित करने के लिए अब तक की पूर्ण जानकारी सहित नकल

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एलआर/22/871 दिनांक 14.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 2.12.2021 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 870 दिनांक 14.2.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि तहसील सवाईमाधोपुर का राजस्व रिकार्ड ऑन लाईन है इसलिए उक्त जानकारी ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हो। बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्रश्नात्मक है इसलिए सूचना नही दी जा सकती है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 2.12.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 पर चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही है तथा चाही गयी सूचना काफी विस्तृत भी है जिसको तैयार करने हेतु अतिरिक्त समय एवं संसाधन की आवश्कता होगी। इसलिए अपीलान्ट को चाहिए कि वह जिन–जिन गांव/शहर की चरागाह भूमि के संबंध मे जानकारी चाहे तो उन गांवों की सूची लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध करवावे। साथ ही लोक सूचना अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट द्वारा किसी गांव विशेष की चरागाह भूमि के संबंध मे जानकारी चाही जावे तो उस गांव की चरागाह भूमि की जमाबन्दी, पी–14, इत्यादि [illegible] उपलब्ध करवायी जावे। इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाना उचित समझता हूँ कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर 4 माह बाद [illegible] गया है जो खेदजनक है। अतः भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर अधिनियम की तय समय सीमा मे निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:17:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर